न्यायालय अपर कलक्टर,बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी–श्री ओ0पी0 बिश्नोई आर0ए0एस0

<u>पंचायत आवेदन पत्र संख्या 51/2011</u>

प्रार्थी विकास अधिकारी पंचायत समिति बाड़मेर	**बनाम**	**विप्रार्थीगण** 1. ग्राम पंचायत गागरिया जरिये सरपंच 2. कासम पुत्र मुराद खॉ जाति मुसलमान निवासी गागरिया स्टेशन तहसील रामसर

निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 बाबत् निरस्त करने पट्टा संख्या 77 दिनांक 20.8.2004 जो ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया।

उपस्थितः– 1. विकास अधिकारी पं.स. रामसर प्रार्थी की ओर से।
2. ग्राम सेवक गागरिया विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से।
3. विप्रार्थी संख्या 02 अनुपस्थित।

<u>निर्णय</u> **दिनांक 25.5.2016**

1. प्रार्थी ने यह निगरानी ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के नाम जारी पट्टा संख्या 77 दिनांक 20.8.2004 को निरस्त करने हेतु धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत हमारे समक्ष पेश की है।

2. संक्षेप में प्रार्थी की निगरानी के तथ्य इस प्रकार हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 द्वारा सरपंच ग्राम पंचायत गागरिया के समक्ष आवेदन पत्र पेश कर जाहिर किया कि ग्राम पंचायत गागरिया की आबादी भूमि पर उसका कब्जा है, जिस पर आवास हेतु पट्टा जारी किया जावें। इस पर विप्रार्थी संख्या 01 ग्राम पंचायत गागरिया ने पत्रावली कायम कर विप्रार्थी संख्या 02 को नियम 156 (1) (क) के तहत भूखण्ड का पट्टा संख्या 77 दिनांक 20.8.2004 जारी किया गया। प्रार्थी का यह कथन हैं कि विप्रार्थी संख्या 02 को जारी किया गया पट्टा नियम 156 के प्रावधानों के विपरीत है, इसलिए विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी पट्टा को निरस्त किया जावें।

3. हमने निगरानी दर्ज रजिस्टर कर, विप्रार्थीगण को कारण बताओं नोटिस जारी किये एवं ग्राम पंचायत गागरिया से निगरानी से संबधित रेकर्ड तलब किया।

4. पत्रावली पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार केम्प कोर्ट रामसर में प्रस्तुत हुई, जिसके लिये अभय पक्ष के अभिभाषकगण एवं पक्षकारों को नोटिस की तामील करा दी गई

न्यायालय अपर कलक्टर

अपर कलक्टर बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

थी। प्रार्थी की ओर से विकास अधिकारी पंचायत समिति रामसर उपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 01 की ओर से ग्राम सेवक गागरिया उपस्थित रहे। विप्रार्थी संख्या 02 नोटिस तामिली के बावजूद भी अनुपस्थित। हालांकि विप्रार्थी संख्या 02 का जवाब पत्रावली पर उपलब्ध है।

5. हमने उभय पक्ष को सुना। पत्रावली व ग्राम पंचायत गागरिया से प्राप्त रेकार्ड का ध्यानपूर्वक अवलोकन एवं विश्लेषण किया। ग्राम पंचायत गागरिया ने विप्रार्थी संख्या 02 को यह पट्टा नियम 156 (1)(क) के तहत जारी किया है। उक्त पट्टा से संबंधित आबादी भूमि ग्राम पंचायत को दिनांक 5.1.2007 को हस्तांतरित हुई है, जबकि विप्रार्थी संख्या 02 को उक्त षट्टा दिनांक 20.8.2004 को जारी किया गया है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के नियम 156 (1) के तहत प्राईवेट बातचीत द्वारा भूमि का विक्रय करने का प्रावधान है एवं उप नियम (क) अनुसार पंचायत किसी भी आबादी भमि को प्राईवेट बातचीत के द्वारा विक्रय के जरिये अंतरित कर सकेगी जहॉ किसी व्यक्ति का भूमि पर स्वत्व का दावा न्याय संगत हो और नीलाम से उचित कीमत प्राप्त नहीं हो सकती है। उक्त नियम के तहत भूखण्ड नीलाम के संबंध में कोई कार्यवाही ग्राम पंचायत द्वारा नहीं की गई। ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को रूपये 01/- प्रति वर्ग फीट की दर से रूपये 1600/- जमा कर पट्टा जारी किया गया, जबकि उक्त नियम के तहत आवासीय दर रूपये 35/- प्रति वर्ग फीट निर्धारित थी। तदानुसार उक्त भूखण्ड की राशि 56000/- बनती है। उक्त राशि में से पूर्व में जमा करवाई गई राशि कम कर शेष राशि 54400/- जमा करवाने हेतु प्रार्थी द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 को दिनांक 7.10.2011 एवं 1.11.2011 से नोटिस जारी किये गये। बावजूद नोटिस के राशि जमा नही किये जाने से नियम 156 की पूर्ण पालना नहीं हुई है। अतः ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा खारिज किये जाने योग्य है।

6. उपरोक्त विवेचन के फलस्वरूप प्रार्थी की निगरानी स्वीकार की जाकर ग्राम पंचायत गागरिया द्वारा विप्रार्थी संख्या 02 कासम के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 77 दिनांक 20.8.2004 को खारिज किया जाता है।

(ओ0पी0बिश्नोई)
अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)

न्यायालय अपर कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

आदेश केम्प कोर्ट रामसर में आज दिनांक 25.5.2016 को खुले में सुनाया गया।

अपर कलक्टर,बाड़मेर
(ए.डी.एम.)